© 2016 IJSRSET | Volume 2 | Issue 4 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section: Engineering and Technology

भारतीय समाज में बाल मजदूरों की दशा एवं दिशा

मो0 शहनवाज़
शोधार्थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा।

शोध सारांश– भारतवर्ष में बाल मजदूरी एक अभिशाप है। जिन छोटे हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनमें चाय के जूठे कप और नाश्ते की जूठी प्लेटें होती हैं। बाल मजदूरी वैसे माता–पिता के कारण और पनप रहा है जो चंद पैसों चाहत में अपने बच्चों को कारखानों, फैक्ट्रियों और ढाबों पर काम करवाने को मजबूर करते हैं। भारत सरकार द्वारा बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। फिर भी यह बाल मजदूरी तभी समाप्त हो सकती है, जब भारत के सभी नागरिक साथ मिलकर इस कोढ़ से मुकाबला नहीं करते।

मुख्य शब्द– भारतवर्ष, समाज, मजबूर, बाल, माता–पिता, जनसंखकया, बालश्रम, कानून।

भारतवर्ष में समाज की जो परिकल्पना है, वह मुख्य रूप से पति–पत्नी और बच्चों की है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका जुड़ाव सर्वाधिक माँ से होता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उसकी अधिकाँश आवश्यकताओं की पूर्ती माँ से ही होती है, माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराकर, गोद में खिलाकर, थपथपाकर, चुम्बन आदि से अपने स्नेह को प्रदर्शित करती है। यही बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा परिवार में ही पाता है और धीरे–धीरे परिवार से मिले संस्कारों के बल पर ही स्कूल, कॉलेज आदि पड़ावों को पार करता हुआ एक दिन अच्छी सी नौकरी पाकर अपना और पूरे परिवार का नाम रौशन करता है। किन्तु यही बच्चा गुमनामी के दलदल में तब फंस जाता है जब इन्हें इनके माता–पिता द्वारा अपने फायदे के लिए छोटे बच्चों को अनचाही जगहों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। यही बाल मजदूरी है। मोटे शब्दों में किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को ही बाल मजदूरी कहते हैं ।

बचपन उम्र का सबसे बेहतरीन पड़ाव होता है, बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का, स्कूल जाने का, माता–पिता के प्यार और परिवेश को अहसास करने का तथा प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, किन्तु कभी मजबूरी में तो कभी माता–पिता की लालच में बच्चों का बचपन बाल मजदूरी की बलि चढ़ जाता है। बच्चों का नियोजन इसलिए भी किया जाता है ताकि काम मूल्य पर उनसे अधिक काम लिया जा सके तथा उनका शोषण किया जा सके। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन कार्य जिन कारणों से करते हैं उनमें आमतौर पर सबसे पहला कारण गरीबी है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों में जनसंखकया विस्फोट, सस्ता शर्म, उपलब्ध कानूनों का लागू न होना, बच्चों को स्कूल न भेजने पर अनिच्छुक माता –पिता आदि। यह हमारे समाज की विडम्बना ही है की माता –पिता चाहकर भी अपने बच्चों को साक्षर नहीं करना चाहते क्योंकि वे उन्हें स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने को अधिक श्रेष्यकर समझते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए भी है ताकि उनके परिवार की आय और अधिक बढ़ सके।

ऐसा बिलकुल भी नहीं है की देश में बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून नहीं बने हुए हैं , बल्कि देश में तो बाल मजदूरी के खिलाफ और भी सख्त कानून है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पेंसिल पोर्टल बाल श्रम को खत्म करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। इसके अतिरिक्त बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए भी अन्य कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के तहत 1.50 लाख बच्चों को शामिल करने हेतु 76 बालश्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। करीब 1.05 लाख बच्चों को विशेष स्कूलों में

दाखिला करवाया जा चूका है। श्रम मंत्रालय ने आयोग से वर्तमान में 250 जिलों की बजाय देश के सभी 600 जिलों को राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना में शामिल करने के लिए 1500 करोड़ रुपये देने को कहा है। खतरनाक उद्योगों, ढाबा और घरों में काम करने वाले बच्चों (9-14 साल की उम्र) को इस परियोजना के तहत लिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित 'बचपन बचाओ आंदोलन' की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 7 से 8 करोड़ बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित हैं। इनके अनुसार अधिकतर बच्चे एक संगठित अपरराध रैकेट का शिकार हो जाते हैं जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14 साल के 26 करोड़ बच्चे पाए गए हैं जिनमें से 1 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं।

वैसे तो भारत में बाल मजदूरी को रोकने के विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनके तहत देश में बाल मजदूरी काफी हद तक कम किया जा सकता है -

1. जब भी किसी शोषित बच्चे को देखें तो उसकी व्यक्तिगत मदद अवश्य करें।
2. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहें कि यदि वो बच्चों का शोषण बंद नहीं करते तो उनसे कुछ भी ख़रीदा न जाएगा।
3. फैक्ट्रियों तथा कंपनियों पर दबाव डालें कि वे बच्चों के स्थान पर वयस्कों को नियोजित करें।
4. अपने आस -पास या रिश्तेदारों अथवा परिजनों के यहाँ यदि कोई बाल श्रमिक है तो उनका सामाजिक बहिष्कार करें।

इतने कानून बनने के बावजूद बाल श्रम कानून बस किताबों में ही दबकर रह गया है। आज भी हर गली-मोहल्ले में छोटे-मोटे बच्चे मिल जाते हैं, जिन नन्हें हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वो नन्हें हाथ चाय के जूठे कप धोते नज़र आते हैं। इसका कारण चाहे इनकी मजबूरियां ही क्यों न हों लेकिन इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सरकार के वादे उस समय खोखले नज़र आने लगते हैं जब होटलों या ढाबों से यह आवाज़ सुनने को मिलती है -"छोटू चार कप चाय ले आना, दो प्लेट नाश्ता लगाना।" यह हमारे देश कि विडम्बना ही है कि यह होटलों और ढाबों का छोटू अपने घरों का बड़ा होता है।

आज बालश्रम हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। दिनानुदिन बाल मजदूरों की संख्या बढ़ती ही जा रही जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। जहाँ भी बाल मजदूर दिखें उन्हें तुरंत मुक्त कराने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए । वैसे कुछ NGO लगातार बाल मजदूरी उन्मूलन पर काम कर रहे हैं। इनमें चाइल्ड लाइन का नाम सबसे ऊपर है यह संस्था 24 घंटे बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए तत्पर रहती है। इसकी शाखाएं भारत के सभी शहरों में अवस्थित हैं तथा इसका हेल्प लाइन न0 1097 है। अंत में आज भी हर संभ्रांत परिवार की यही मांग है-

हर रोज़ ही हम जहाँ से जवाब मांगते हैं।
मन ही मन ये बच्चे भी किताब मांगते हैं।।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. विकास का समाजशास्त्र, राव राम मेहर सिंह,अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
2. ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, डॉ0 गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एस बी पी डी पब्लिकेशन
3. भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, के0 एल0 शर्मा, रावत पब्लिकेशंस
4. एबोलिएशन ऑफ़ चाइल्ड लेबर, ए ब्रीफ नोट, 2011, नेशनल अडवाइसरी कौंसिल
5.चिल्ड्रन एंड वर्क, एनुअल रिपोर्ट, 2009, भारत सरकार